<u>प्रकरण क्रं० 13/2022</u>

13.08.2024 आवेदिका द्वारा श्री रमेश शर्मा अधिवक्ता।
अनावेदक क्रं० 01 द्वारा श्री अंजनी मिश्रा अधिवक्ता।
अनावेदक क्रं० 02 से 08 द्वारा श्री शंकर चौधरी अधिवक्ता।
अनावेदक क्रं० 09 द्वारा श्री खेमचंद प्रजापति अधिवक्ता।
अनोवदक क्रं० 10 आम जनता।

प्रकरण आवेदक साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी स्तर पर आवेदक की ओर से एक आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 01 व्य०प्र०सं के तहत पेश किया गया प्रतिलिपी अनावेदकगण को दी गयी।

अनावेदकगण के द्वारा उक्त् आवेदनपत्र का लिखित जवाब न देते हुये कोई आपत्ति न होना व्यक्त किया।

उक्त आवेदनपत्र पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

प्रकरण आदेश हेतु पुनः मेरे समक्ष पेश हो।

EKTA AGRAWAL
Digitally signed by EKTA AGRAWAL
DN: cn=EKTA AGRAWAL, ou=DISTRICT COURT, o=HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR, st=CHATTISGARH, c=IN

(श्रीमती एकता अग्रवाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1
पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर (छ०ग०)

पुनश्च–

आवेदिका द्वारा श्री रमेश शर्मा अधिवक्ता।
अनावेदक क्रं० 01 द्वारा श्री अंजनी मिश्रा अधिवक्ता।
अनावेदक क्रं० 02 से 08 द्वारा श्री शंकर चौधरी अधिवक्ता।
अनावेदक क्रं० 09 द्वारा श्री खेमचंद प्रजापति अधिवक्ता।
अनोवदक क्रं० 10 आम जनता।

प्रकरण आदेश हेतु नियत है ।

इस आदेश के द्वारा आवदेक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 01 व्य०प्र०सं० का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक के द्वारा उक्त आवेदनपत्र में व्यक्त किया गया है कि उक्त् प्रकरण में अनावेदक क्रं० 09 वन परिक्षेत्र अधिकारी मरवाही की ओर से दिनांक 12.10.2023 को प्रस्तुत किये गये जवाब में अनावेदक क्रं० 01 को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना बताया गया है । उपरोक्त् परिस्थिति में आवेदक अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुये प्रस्तुत आवेदनपत्र वापस लेना चाहता है। अतः आदेश किये जाने का निवेदन किया है।

अनावेदकगण के द्वारा उक्त आवेदनपत्र का लिखित जवाब न देते हुये कोई आपत्ति न होना व्यक्त किया गया।

उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

उक्त् आवेदनपत्र के परिप्रेक्ष्य मे प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित होता है कि आवेदक के द्वारा यह मामला अनावेदकगण के विरुद्ध मृतक बंधु की मृत्यु के पश्चात दी जाने वाली सहायता/क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिये उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु अंतर्गत

धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पेश किया गया ।

आवेदक वर्तमान उक्त आवेदनपत्र के माध्यम से अन्य मामला संस्थित करने की अनुमति सहित प्रकरण को वापस लेना चाहती है जिसका कारण आवेदक ने क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अनावेदक क्रं० 09 के द्वारा अनावेदक क्रं० 01 को करना बताया है।

उक्त् के संबंध में **व्य०प्र०सं० के आदेश 23 (03) अवलोकनीय है, जिसमें यह प्रावधान दिया गया है कि–**

03– जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि–

(क)– वाद किसी प्रारुपिक त्रुटि के कारण विफल हो जायेगा, अथवा

(ख)– वाद की विषय वस्तु या दावे के भाग के लिये नया वाद संस्थित करने के लिये वादी को अनुज्ञात करने के पर्याप्त आधार है, वहां ऐसे निबंधनों पर जिन्हें वह ठीक समझें वादी को ऐसे वाद के विषय वस्तु या दावे के ऐसे भाग के संबंध में नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता रखते हुये ऐसे वाद को या दावे के ऐसे भाग को अपने से प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त् स्थिति/कारण दर्शित होने पर नया वाद/दावा संस्थित करने की स्वतंत्रता देते हुये वाद/मामलें प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा न्यायालय द्वारा दी जा सकती है । यह प्रकरण आवेदक के द्वारा मृतक स्व० बंधु की मृत्यु होने के उपरांत क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिये उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु पेश किया है जो क्षतिपूर्ति की राशि अनावेदक क्रं० 09 के द्वारा अनावेदक क्रं० 01 को प्रदान किया जाना अपने जवाब में बताया है। उपरोक्त स्थिति में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक को अन्य वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता देते हुये मामला वापस लेने की अनुमति दिया जाना न्यायहित में उचित दर्शित होता है ।

अतःउपरोक्त समस्त परिस्थिति में विचारोपरांत आवेदक के उक्त् प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 01 व्य०प्र०सं स्वीकार कर आवेदक को अन्य वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुये मामले को प्रत्याहृत करने की अनुमति दी जाती है ।

आवेदक की ओर से मामले को प्रत्याहृत करने के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

प्रकरण समाप्त ।

परिणाम दर्ज कर विधिवत लेखागार प्रेषित किया जावे ।

EKTA AGRAWAL

Digitally signed by EKTA AGRAWAL
DN: cn=EKTA AGRAWAL, ou=DISTRICT COURT, o=HIGH COURT OF CHHATTISGARH BILASPUR, st=CHATTISGARH, c=IN

(श्रीमती एकता अग्रवाल)
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी
पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर (छ०ग०)